

**छत्तीसगढ़ नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, पुराना नर्सेस हॉस्टल,
रायपुर, छत्तीसगढ़**



क्रमांक / रजि० नर्सिंग कां० / प्रोजे० / २०२० / ३०८७

रायपुर, दिनांक २४/११/२०२०

// आदेश //

छत्तीसगढ़ नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल (परिषद) की बैठक में लिये गये निर्णय एवं
अनुमोदन उपरांत डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निम्नलिखित संस्थाओं
को सत्र 2020–21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है:—

1. डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली के मापदण्डों के अनुरूप प्रशिक्षण सुविधायें, प्रशिक्षण ब्लॉक/ छात्रावास एवं स्टॉफ व्यवस्था सुनिश्चित रखनी होगी।
2. संस्था का वार्षिक निरीक्षण छत्तीसगढ़ नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल द्वारा प्रतिवर्ष तथा औचक निरीक्षण आवश्यकतानुसार किया जावेगा तथा मापदंड अनुसार संस्था संचालित नहीं पाये जाने की स्थिति में मान्यता निरस्त की जा सकती है एवं नियमानुसार अन्य आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है।
3. संस्था द्वारा नर्सिंग पाठ्यक्रम एवं भारतीय उपचर्या परिषद के नियमों/ मापदंडो का पालन किया जावेगा।
4. केन्द्र अथवा राज्य शासन द्वारा नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश/ पठन–पाठन, फीस निर्धारण इत्यादि के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों का संस्था द्वारा पालन किया जावेगा।
5. यह अनुमति केवल सत्र 2020–21 के लिए वैध होगी।

अनुमति प्राप्त संस्थाओं की सूची

पाठ्यक्रम का नाम :— डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग

स. क्र.	महाविद्यालय का नाम एवं पता	डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग सीट संख्या सत्र 2020–21 हेतु
1	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, मेडिकल कॉलेज परिसर, जेल रोड, रायपुर (छ.ग.)	10
2	सेन्ट्रल इंडिया कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जी.ई. रोड देवादा चौक कोपेडीह रोड, ग्राम–देवादा, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)	10

Qhamriya
रजिस्ट्रार २४/११/२०२०
छ.ग.नर्सेस रजि.काउन्सिल
रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक:

//2//

क्रमांक/रजिस्टर नंसिग कांग/प्रोजे./2020/3088-3093 रायपुर, दिनांक २४/११/2020
प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ
2. अध्यक्ष, छ.ग. नर्सेस रजि. काउन्सिल पुराना नर्सेस हॉस्टल, डी.के.एस. परिसर रायपुर की की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा पुराना नर्सेस हॉस्टल, डी.के.एस. परिसर सत्र रायपुर की की ओर सूचनार्थ।
4. सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. समस्त संबंधित संस्थाओं को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
6. कार्यालय प्रति।

Nawriya
रजिस्ट्रर २४/११/२०२०
छ.ग. नर्सेस रजि. काउन्सिल
रायपुर(छ.ग.)